प्रेस विज्ञप्ति

01.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रोप. मेसर्स राकेश कुमार चौधरी, राकेश कुमार चौधरी से संबंधित छह (6) अचल संपत्तियों को भूमि पार्सल के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ग्राम असरवान, तालुका भलवाल, जम्मू में लगभग 20 कनाल भूमि शामिल है, जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है।

ईडी ने मेसर्स राकेश कुमार चौधरी, प्रो. राकेश कुमार चौधरी और अन्य के खिलाफ सीबीआई, जम्मू द्वारा दायर एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। राकेश कुमार चौधरी ने एनएचएआई, जम्मू के तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) हेम राज के साथ मिलीभगत से 2018 में जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू बाईपास सहित एनएचएआई/लखनपुर-जम्मू खंड के अल्पकालिक सुधार और नियमित रखरखाव के लिए लगभग 9.34 करोड़ रू. की एक निविदा हासिल की।

जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी राकेश कुमार चौधरी द्वारा मेसर्स राकेश कुमार चौधरी की बोली के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र जाली थे और संबंधित जारी करने वाले अधिकारियों ने इसे जारी करने से इनकार कर दिया था। निविदा प्रस्तुत करने के दस्तावेजों के हिस्से के रूप में बैंक गारंटी समाप्त हो गई थी और निविदा देने की शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसे नवीनीकृत नहीं किया गया था। उक्त ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में हेराफेरी करते हुए, निविदा हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों को अंजाम देने में संलिप्त रहा और निविदा कार्य के निष्पादन में अपराध के आगम के रूप में अनुचित मौद्रिक लाभ प्राप्त किया।

मनी ट्रेल से पता चला कि टेंडर कार्य के लिए एनएचएआई से वितरित धनराशि विभिन्न खातों में स्थानांतरित की गई थी। धनराशि को बाद में तीसरे खाते में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसका उपयोग कुर्क किए गए भूमि पार्सल के अधिग्रहण के लिए किया गया था।

आगे की जांच जारी है।